रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 1] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 1, 1969/पौष 11, 1890
No. 1] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 1, 1969/PAUSA 11, 1890

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF COMMERCE

NOTIFICATION

TARIFFS

New Delhi, the 1st January 1969

No. 52(1)-Tar/68—In exercise of the powers conferred by section 12 of the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934), and of all others powers enabling it in this behalf, the Central Government hereby cancels the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce No. 43(2)-Tar/66, dated the 6th June, 1966, in so far as it relates to Serial Nos. 11, 12, 19, 20, 21, 22 and 24 and the entries relating thereto in the Table annexed to the said notification.

S. VENKATESAN, Jt. Secy.

वाणिज्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 1969

सं० 52(1)-टैरि०/68.—भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का 32) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का तथा इस निमित्त केन्द्रीय सरकार को समर्थ बनाने वाली अन्य

सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं० 43(2)—टैरि०/66 तारीख 6 जून, 1966 को, जहां तक उसका सम्बन्ध उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में की क्रम से संख्याओं 11, 12, 19, 20, 21, 22 तथा 24 और तत्संबंधी प्रविष्टियों से है, रद्द करती है ।

सू० वेंकटेशन, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1969